BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL,CHANDIGARH BENCH AT CHANDIGARH

COMPANY APPLICATION NO. CA (CAA) NO. 39/CHD/HRY/2019

(Under Sections 230-232 read with Section 52 and 66 of the Companies Act, 2013)

IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 2013

AND

IN THE MATTER OF SCHEME OF ARRANGEMENT AMONG CAREER LAUNCHER EDUCATION INFRASTRUCTURE AND SERVICES LIMITED AND CL MEDIA PRIVATE LIMITED AND ACCENDERE KNOWLEDGE MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED AND G.K. PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED AND KESTONE INTEGRATED MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED AND CL EDUCATE LIMITED AND THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS AND CREDITORS

AND

IN THE MATTER OF:

Career Launcher Education Infrastructure and Services Limited (hereinafter referred to as 'CLEIS'), Company registered under the Companies Act, 1956 having its registered office at Plot No. 9A, Sector-27A, Mathura Road, Faridabad, Haryana- 121003

...Amalgamating Company 1/ Applicant Company 1

AND

CL Media Private Limited (hereinafter referred to as 'CL Media'), Company registered under the Companies Act, 1956 having its registered office at Plot No. 9A, Sector-27A, Mathura Road, Faridabad, Haryana- 121003

...Amalgamating Company 2/ Applicant Company 2

AND

Accendere Knowledge Management Services Private Limited (hereinafter referred to as 'AKMS'), Company registered under the Companies Act, 1956 having its registered office at Plot No. 9A, Sector-27A, Mathura Road, Faridabad, Haryana- 121003

...Amalgamating Company 3/ Applicant Company 3

AND

G.K. Publications Private Limited (hereinafter referred to as 'GKP'), Company registered under the Companies Act, 1956 having its registered office at Plot No. 9A, Sector-27A, Mathura Road, Faridabad, Haryana- 121003

...Amalgamating Company 4/ Applicant Company 4

AND

Kestone Integrated Marketing Services Private Limited (hereinafter referred to as 'Kestone'), Company registered under the Companies Act, 1956 having its registered office at Plot No. 9A, Sector-27A, Mathura Road, Faridabad, Haryana- 121003

...Amalgamating Company 5/ Applicant Company 5

AND

CL Educate Limited (hereinafter referred to as 'CL Educate'), Company registered under the Companies Act, 1956 having its registered office at Plot No. 9A, Sector-27A, Mathura Road, Faridabad, Haryana- 121003

...Amalgamated Company / Applicant Company 6

NOTICE AND ADVERTISEMENT OF NOTICE OF THE MEETING OF THE EQUITY SHAREHOLDERSOF CL EDUCATE LIMITED AND UNSECURED CREDITORS OF KESTONE INTEGRATED MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED

Notice is hereby given that by an order dated December 11, 2019 in Company Application No. CA (CAA) No. 39/Chd/Hry/2019 (**'Order'**), the Hon'ble Chandigarh Bench of National Company Law Tribunal at Chandigarh ('Tribunal') has directed separate meetings to be held of the equity shareholders of CL Educate Limited (**'Amalgamated Company'**) and of the unsecured creditors of Kestone Integrated Marketing Services Private Limited (**'Amalgamating Company 5'**) for the purpose of considering and if thought fit, approving with or without modifications, the proposed scheme of arrangement (**'Scheme'**) among Career Launcher Education Infrastructure and Services Limited, CL Media Private Limited, Accendere Knowledge Management Services Private Limited, G.K. Publications Private Limited and Kestone Integrated Marketing Services Private Limited and CL Educate Limited and their respective Shareholders and Creditors under Sections 230-232 read with Section 52 and Section 66 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013.

In pursuance of the said order and as directed therein, further notice is hereby given that:

i. meeting of equity shareholders of the Amalgamated Company will be held at Magpie Tourist Complex, Sector 16A, Mathura Road, Faridabad, Haryana 121001 on Saturday, 01st day of February, 2020 at 10:00 A.M., at which time and place, the equity shareholdersof the Amalgamated Company are requested to attend; and

ii. meeting of unsecured creditors of the Amalgamating Company 5 will be held at Magpie Tourist Complex, Sector 16A, Mathura Road, Faridabad, Haryana 121001 on Saturday, 01st day of February, 2020 at 12:00 P.M., at which time and place, the unsecured creditors of the Amalgamating Company 5 are requested to attend.

Copies of the said Scheme and of the explanatory statement under Sections 230 and 102 of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 (**'Explanatory Statement'**), the form of proxy and attendance slip can be obtained free of charge on any day between 11:00 A.M. to 01:00 P.M. (except Saturdays, Sundays and Public Holidays) from the registered office of the Amalgamated Company and Amalgamating Company 5 at Plot No. 9A, Sector-27A, Mathura Road, Faridabad, Haryana- 121003.

Persons entitled to attend and vote at the respective meeting, may vote in person or by proxy, provided that all the proxies in the prescribed form, duly completed, signed and stamped or authenticated by the person entitled to attend and vote at the relevant meeting, are deposited at the Registered Office of the Amalgamated Company and Amalgamating Company 5 not later than 48 hours before the scheduled time of the respective meeting. The Companies are required to furnish a copy of the Scheme within one day of any requisition of the Scheme made by any equity shareholder or unsecured creditor entitled to attend the meetings.

The Tribunal has appointed Mr. Pushkar Sood, Advocate, as the Chairperson and failing him, Mr. Shashi Pratap Singh, as the Alternate Chairperson and Mr. Nitin Kumar, Company Secretary as the Scrutinizer for the said meetings of the equity shareholders of the Amalgamated Companyand unsecured creditors of the Amalgamating Company 5, including for any adjournment(s) thereof.

The above mentioned Scheme, if approved at the meetings, will be subject to the subsequent approval of the Tribunal.

Further, notice is hereby given to the equity shareholders of the Amalgamated Company that pursuant to the provisions of: (a) Section 230(4) read with Sections 108 of the Act; (b) Rule 6 (3)(xi) of the Rules; (c) Rules 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification or re-enactment thereof); (d) Regulation 44 and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"); and (e) Circular No. CFD/DIL3/CIR/2017/21 dated March 10, 2017 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and other relevant laws and regulations, as may be applicable, the Amalgamated Company has also provided the facility of voting by e-voting so as to enable the equity shareholders, which includes the public shareholders, to consider and approve the Scheme. Accordingly, voting by equity shareholders on the proposed resolution shall be carried out through e-voting process and polling paper at the venue of the meeting to be held on 01st day of February, 2020 at 10:00 A.M. (**'Shareholders Meeting'**) and in this regard, the equity shareholders of the Amalgamated Company may note that:

a) The Amalgamated Company has engaged the services of KFIN Technologies Private Limited (earlier Karvy Fintech Private Limited (**'KFINTech'**) for the purpose of providing e-voting facility to the equity shareholders.

b) The notice in relation to equity shareholders meeting, together with the documents accompanying the same, including the relevant Explanatory Statement, the Scheme, the form of proxy and the attendance slip (together, the **'Notice'**) are available on the website of the Amalgamated Company at **www.cleducate.com.**

c) The Notice is being sent to all the equity shareholders of the Amalgamated Company as on December 06, 2019 by permitted modes at their last known addresses. A person/ entity who is not an equity shareholder on such date should treat the notice for information purposes only.

d) The voting period for e-voting commences on Thursday, 02nd January, 2020 at 09:00 A.M. and ends on Friday, 31st January, 2020 at 05:00 P.M. During this period, the equity shareholders holding equity shares either in physical form or in dematerialized form, as on Friday, December 06, 2019, being the cut-off date, may cast their vote (for or against) electronically. Once the vote on the resolution is cast by an equity shareholder, such equity shareholder will not be allowed to change it subsequently.

e) An equity shareholder (including public shareholders) can opt for only one mode of voting i.e., either by e-voting or voting at the venue of the Shareholders Meeting. It is clarified that casting of vote by e-voting does not disentitle an equity shareholder from the attending the Shareholders Meeting. However, any equity shareholder who has voted through e-voting cannot vote at the Shareholders Meeting. The equity shareholders attending the Shareholders Meeting who have not casted the vote by e-voting shall be entitled to exercise their vote at the venue of the meeting.

f) The Amalgamated Company is providing the voting facility through polling paper at the Meeting venue to the equity shareholders who have not casted the vote by e-voting. The voting rights of an equity shareholder shall be in proportion to such equity shareholder's equity shareholding in the Amalgamated Company as on Friday, December 06, 2019.

g) The results of the votes casted through e-voting process and polling paper at the venue of the Shareholders Meeting will be announced on or before Monday, 03rd February, 2020 at the registered office of the Amalgamated Company. The results along with the report of the Scrutinizer shall be displayed at the registered office of the Amalgamated Company situated at Plot No. 9A, Sector-27A, Mathura Road, Faridabad, Haryana- 121003 and its website www.cleducate.com and KFINTech's website (https://evoting.karvy.com), besides being communicated to the stock exchanges where the equity shares of the Amalgamated Company are listed, namely, the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited.

h) In case of any query and/ or grievance, pertaining to e-voting, please visit Help & FAQ's section available at KFINTech's website (https://evoting.karvy.com) or contact Mr. Mohd Mohsin Uddin (Unit: CL Educate Limited) of KFIN Technologies Private Limited,Selenium Tower B, Plot number 31-32, Selenium Building, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad - 500 032 at evoting@kafvy.com or phone number 040-67162222 or call KFINTech's toll free No. 1-800-21-54-001.

Dated this 29th Day of December, 2019	**For Kestone Integrated Marketing Services Private Limited**
For CL Educate Limited	
Sd/-	**Sd/-**
Ms. Rachna Sharma	**Ms. Rachna Sharma**
(Company Secretary and Authorized Signatory)	**(Authorized Signatory)**

Kestone Integrated Marketing Services Pvt. Ltd. ★ New Delhi

दैनिक भास्कर
रविवार 29 दिसंबर, 2019 | 07

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण
चंडीगढ पीठ, चंडीगढ
कंपनी आवेदन क्रमांक सीए (सीएए)नं. 39/सीएचडी/एचआरवाई/2019
एचआरवाई/2019
(कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 230–232 के अंतर्गत, खंड 52 एवं 66 के साथ पठित)
कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में,
तथा
करियर लॅान्चर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड
तथा
सीएल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
तथा
अच्वेन्द्रे नॉलेज मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
तथा
जीके पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
तथा
कीस्टोन इंटिग्रेटेड मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
तथा
सीएल एजुकेट लिमिटेड
तथा
उनके संबंधित शेयरधारकों एवं लेनदारों के बीच व्यवस्था की योजना के मामले में
तथा

इस मामले में कि,
करियर लॅान्चर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इसके बाद 'सीएलईआइएस' के रूप में संदर्भित), कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी और जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं 9ए, सेक्टर 27ए, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा–121003 है,

.........समामेली कंपनी 1/आवेदक कंपनी 1

तथा

सीएल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद 'सीएल मीडिया' के रूप में संदर्भित), कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं 9ए, सेक्टर 27ए, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा–121003 है,

.........समामेली कंपनी 2/आवेदक कंपनी 2

तथा

अच्वेन्द्रे नॉलेज मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद 'एकेएमएस' के रूप में संदर्भित), कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं 9ए, सेक्टर 27ए, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा–121003 है,

.........समामेली कंपनी 3/आवेदक कंपनी 3

तथा

जी के पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड(इसके बाद 'जीकेपी' के रूप में संदर्भित), कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं 9ए, सेक्टर 27ए, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा–121003 है,

.........समामेली कंपनी 4/आवेदक कंपनी 4

तथा

कीस्टोन इंटिग्रेटेड मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद 'कीस्टोन' के रूप में संदर्भित), कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं 9ए, सेक्टर 27ए, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा–121003 है,

.........संमामेली कंपनी 5/आवेदक कंपनी 5

तथा

सीएल एजुकेट लिमिटेड (इसके बाद 'सीएल एजुकेट' के रूप में संदर्भित), कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं 9ए, सेक्टर 27ए, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा–121003 है,

.........समामेलित कंपनी/आवेदक कंपनी 6

सीएल एजुकेट लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों एवं कीस्टोन इंटिग्रेटेड मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अप्रतिभूत लेनदारों की बैठक की सूचना एवं सूचना का विज्ञापन

एतत्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (ट्रिब्यूनल) की चंडीगढ़ शाखा द्वारा दिनांक 11 दिसंबर 2019 को कंपनी आवेदन क्रमांक सीए (सीएए) नं. 39/सीएचडी/ एचआरवाई/2019 (**'आदेश'**) में निर्देश दिया है कि सीएल एजुकेट लिमिटेड (**'समामेलित कंपनी'**) के इक्विटी शेयरधारकों और कीस्टोन इंटिग्रेटेड मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (**'समामेली कंपनी 5'**) के अप्रतिभूत लेनदारों के बीच विचार करने के उद्देश्य से अलग बैठक आयोजित की जाए और यदि उपयुक्त समझें, संशोधन के साथ या उसके बिना, प्रस्तावित व्यवस्था की योजना (**'योजना'**) को कंपनी अधिनियम 2013 के भाग 230–232, खंड 52,एवं खंड 66 और दूसरे लागू प्रावधानों के साथ पठित और इसके अंतर्गत करियर लॅान्चर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड, सीएल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, अच्वेन्द्रे नॉलेज मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट् लिमिटेड, जी के पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड और कीस्टोन इंटिग्रेटेड मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और सीएल एजुकेट लिमिटेड एवं उनके संबंधित शेयरधारकों एवं लेनदारों के बीच स्वीकार किया जाए।

उपरोक्त आदेश एवं उसमें दिए गए निर्देशों के अनुपालन में एतत्द्वारा सूचित किया जाता है कि:

अ) समामेलित कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक शनिवार, 1 फरवरी 2020 को सुबह 10 बजे मैग्पाई टूरिस्ट कांप्लेक्स, सेक्टर 16ए, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा 121001 में आयोजित की जायेगी, जहां उपरोक्त समय एवं स्थान पर समामेलित कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों से उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है, और

ब) समामेली कंपनी 5 के अप्रतिभूत लेनदारों की बैठक शनिवार, 1 फरवरी 2020 को दोपहर 12 बजे मैग्पाई टूरिस्ट कांप्लेक्स, सेक्टर 16ए, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा 121001 में आयोजित की जायेगी, जहां उपरोक्त समय एवं स्थान पर संलयित कंपनी 5 के अप्रतिभूत लेनदारों से उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है।

उक्त योजना कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत खंड 230 एवं 102, कंपनी (समझौता, व्यवस्थापन एवं समामेलन) नियमावली, 2016 (**'व्याख्यात्मक कथन'**) के नियम 6 के साथ पठित, इसकी प्रतियां एवं व्याख्यात्मक कथन, प्रतिनिधि फार्म एवं उपस्थिति स्लिप किसी भी दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक (शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) समामेलित कंपनी एवं समामेली कंपनी 5 के पंजीकृत कार्यालय से शुल्क रहित प्राप्त किये जा सकते हैं।

उपरोक्त बैठक में भाग लेने और वोट देने के लिए अधिकृत व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या प्रतिनिधि को मतदान के लिए चुन सकता है बशर्ते प्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति के विधिवत पूर्ण हस्ताक्षरित, स्टांप युक्त या संबंधित बैठक में भाग लेने और वोट देने के अधिकृत व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणित दस्तावेज समामेलित कंपनी एवं समामेली कंपनी 5 के पंजीकृत कार्यालय में बैठक के निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा किये जाए। बैठक में हिस्सा लेने के अधिकृत किसी भी इक्विटी शेयकधारक या अप्रतिभूत लेनदार द्वारा योजना की मांग पर कंपनियों को योजना की एक प्रति एक दिन के भीतर उपलब्ध करवाना जरूरी होगा।

अधिकरण ने समामेलित कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों एवं समामेली कंपनी 5 के अप्रतिभूत लेनदारों के बैठकों के लिए मिस्टर पुष्कर सूद, एडवोकेट को अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी अनुपस्थिति के एवज मे मिस्टर शशि प्रताप सिंह को वैकल्पिक अध्यक्ष नियुक्त किया है तथा मिस्टर नितिन कुमार, कंपनी सचिव को किसी भी तरह के स्थगन(नों) के लिए पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। उपरोक्त उद्धृत योजना यदि बैठक में स्वीकृत हो जाती है, माननीय अधिकरण की स्वीकृति के अधीन होगी।

पुनः एतत्द्वारा समामेलित कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि प्रावधानों के अनुपालन में (क) अधिनियम की धारा 230(4) को धारा 108 संग पढ़ा जाए (ख) नियम 6(3)(xi) (ग) कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली 2014 का नियम 20 (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः निर्धारण सहित) (घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचनीय दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 ("सेबी अधिसूचित नियमों") के विनियमन 44 एवं अधिनियम लागू होने वाले प्रावधानों और (ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संख्या सीएफडी/ डीआईएल3/ सीआईआर/2017/21 दिनांक 10 मार्च 2017 एवं अन्य संबंधित विधि एवं अधिनियम, और जो भी लागू हो, के अनुपालन में समामेलित कंपनी मतदान में ई–वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करवाएगी जो कि इक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध होगी, जिसमें योजना पर विचार करने एवं स्वीकृति के लिए सार्वजनिक शेयरधारक भी होंगे। तद्नुसार, प्रस्तावित मसौदे पर शेयरधारकों के द्वारा मतदान ई–मतदान प्रक्रिया एवं मतपत्रों के द्वारा बैठक के स्थान पर 1 फरवरी 2020 को सुबह 10 बजे (**'शेयरधारकों की बैठक'**) होगी और इस संबंध में समामेलित कंपनी के इक्विटी शेयरधारक ध्यान दें कि:

अ) अपने सभी इक्विटी शेयरधारकों को ई–मतदान सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए समामेलित कंपनी ने केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड) (**'केफिनटेक'**) की सेवाएं ली हैं।

ब) इक्विटी शेयरधारकों की बैठक की सूचना के संबंध में, संबंधित व्याख्यात्मक कथन, प्रतिनिधि प्रपत्र, योजना, उपस्थिति पर्ची (अधिसूचना समेत) समामेलित कंपनी की वेबसाइट www.cleducate.com पर उपलब्ध है।

स) समामेलित कंपनी के सभी इक्विटी शेयरधारकों को अनुज्ञप्त साधनों के द्वारा 6 दिसंबर 2019 तक उनके अंतिम ज्ञात पते पर सूचना भेजी जा चुकी है। इस तारीख तक एक व्यक्ति / प्राधिकरण जो इक्विटी शेयरधारक नहीं है, उसके लिए ये सूचना मात्र जानकारी के लिए है।

द) ई–मतदान के लिए मतदान अवधि गुरुवार 2 जनवरी 2020 को सुबह 9 बजे से शुरु होगी जो कि शुक्रवार 31 जनवरी 2020 को शाम 5 बजे तक चलेगी। इस अवधि के दौरान, शुक्रवार 6 दिसंबर 2019 जो कि कट ऑफ तिथि है, को भौतिक पद्धति या अभौतिक पद्धति में इक्विटी शेयर धारित करने वाले इक्विटी शेयरधारक इलेक्ट्रानिक रूप से अपना मतदान (पक्ष या विपक्ष में) कर सकते हैं। एक बार प्रस्ताव पर इक्विटी शेयरधारक द्वारा मतदान करने पर, उस इक्विटी शेयरधारक को इसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

य) एक इक्विटी शेयरधारक (सार्वजनिक शेयरधारकों सहित) मतदान के लिए सिर्फ एक तरीके को चुन सकता है, जैसे ई–वोटिंग या शेयरधारकों की बैठक स्थल में डाला जाने वाला वोट। ये स्पष्ट किया जाता है कि ई–वोटिंग से मतदान करने वाले शेयरधारक को शेयरधारकों की बैठक में सम्मिलित होने के हक से वंचित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, कोई भी शेयरधारक जिसने ई–वोटिंग के द्वारा मतदान किया है, शेयरधारकों की बैठक में मतदान नहीं कर सकता है। शेयरधारकों की बैठक में सम्मिलित होने वाले इक्विटी शेयरधारक जिन्होंने ई वोटिंग से मतदान नहीं किया है, वो बैठक स्थल में अपना मत डालने के लिए अधिकृत हैं।

र) इक्विटी शेयरधारक जिन्होंने अपना वोट ई वोटिंग के द्वारा नहीं डाला है, उनके लिए समामेलित कंपनी पोलिंग पेपर के द्वारा बैठक स्थल पर मतदान की सुविधा उपलब्ध करा रही है। एक शेयरधारक के वोटिंग अधिकार समामेलित कंपनी में शुक्रवार, 6 दिसंबर 2019 की तिथि में उसके शेयर धारण करने के अनुपात में है।

ल) शेयरधारकों के मीटिंग स्थल में ई–वोटिंग एवं पोलिंग पेपर के द्वारा डाले गए वोटों का परिणाम सोमवार 3 फरवरी 2020 को या इससे पहले समामेलित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में घोषित कर दिया जाएगा। पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के साथ परिणाम प्लाट नं 9ए, सेक्टर 27ए, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा–121003 में स्थित समामेलित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और इसकी वेबसाइट www.cleducate.com और केफिनटेक की वेबसाइट https://evoting.karvy.com में दिखाया जाएगा, जो कि स्टॉक एक्सचेंज (नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं बीएसई लिमिटेड) को सूच्य करने के अतिरिक्त, जहां कि समामेलित कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, होगा।

व) ई–वोटिंग के संबंध में किसी प्रश्न और/या शिकायत के होने पर केफिनटेक की वेबसाइट https://evoting.karvy.com में उपलब्ध Help & FAQ सेक्शन पर जाएं या केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31–32, सेलेनियम बिल्डिंग, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक, नानकरामगुडा, गाचीबाउली, हैदराबाद–500032 के मोहम्मद मोहसिन उदिन से evoting@karvy.com पर या फोन नंबर 040–67162222 पर या केफिनटेक के टोल फ्री नंबर 1800–21–54–001 पर संपर्क किया जा सकता है।

दिनांक : 29 दिसंबर 2019

सीएल एजुकेट लिमिटेड के लिए
ह.
मिस रचना शर्मा
(कंपनी सचिव एवं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

कीस्टोन इंटिग्रेटेड मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के लिए
ह.
मिस रचना शर्मा
(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

Keystone Integrated Marketing Services Pvt. Ltd. ★ New Delhi